



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273096
CG-DL-E-03062026-273096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2711]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2711]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

का.आ. 2805(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में NH-344B के कि.मी. 4.100 से कि.मी. 6.725 (फगवाडा होशियारपुर खंड सहित होशियारपुर बाईपास) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला माल अफसर, एंस्.बी.एँस् नगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में NH-344B के कि.मी. 4.100 से कि.मी. 6.725 (फगवाड़ा होशियारपुर खंड सहित होशियारपुर बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: नवांशहर			
क्रमिक संख्या 1	सर्वेक्षण संख्या 2	भूमि का प्रकार 3	भूमि की प्रकृति 4	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) 5	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 6
तालुक का नाम: बंगा					
गांव का नाम: खोथड़ां(1)					
1	10//18/1	निजी	कृषि	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177000
2	10//18/2	निजी	कृषि	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405000
3	11//23/2	निजी	कृषि	0.0304 (हेक्टेयर)	0.0304000
4	23//13/2	निजी	कृषि	0.1492 (हेक्टेयर)	0.1492000
5	23//18/1	निजी	कृषि	0.0455 (हेक्टेयर)	0.0455000
6	23//7/1/2	निजी	कृषि	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076000
7	25//13/4	निजी	कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008000
8	25//17/3	निजी	कृषि	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177000
9	25//24	निजी	कृषि	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152000
10	275	निजी	रस्ता (पंचायत)	0.0506 (हेक्टेयर)	0.0506000
11	291	निजी	रस्ता (पंचायत)	0.0278 (हेक्टेयर)	0.0278000
12	303	निजी	रस्ता (पंचायत)	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253000
13	304	निजी	रस्ता (पंचायत)	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152000
14	305	निजी	रस्ता (पंचायत)	0.0329 (हेक्टेयर)	0.0329000
15	37//17/5	निजी	कृषि	0.0455 (हेक्टेयर)	0.0455000
16	37//23	निजी	कृषि	0.2276 (हेक्टेयर)	0.2276000
17	37//7/3	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228000
18	40//13	निजी	कृषि	0.1062 (हेक्टेयर)	0.1062000

19	47//2	निजी	कृषि	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076000
20	72	निजी	गैरमुमकिन तालाब	0.0481 (हेक्टेयर)	0.0481000
कुल योग					0.9342000

[फा. सं. 1000/LA/2020-21/NHA/PIU-LDH/PhagwaraBypass/3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2026

S.O. 2805(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-344B in the stretch of land from Km 4.100 to Km 6.725 (Phagwara Hoshiarpur Section including Hoshiarpur Bypass) in the district of NAWANSHAHR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer, SBS Nagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-344B in the stretch of land from Km 4.100 to Km 6.725 (Phagwara Hoshiarpur Section including Hoshiarpur Bypass in the district of NAWANSHAHR in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: NAWANSHAHR		
Sl. No. 1	Survey/Plot Number 2	Type of Land 3	Nature of Land 4	Area (in Local Unit) 5	Area (in Hectares) 6
Taluk: BANGA					
Village: Khothran (1)					
1	10//18/1	Private	Agriculture	0.0177 (Hectare)	0.0177000
2	10//18/2	Private	Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405000
3	11//23/2	Private	Agriculture	0.0304 (Hectare)	0.0304000
4	23//13/2	Private	Agriculture	0.1492 (Hectare)	0.1492000
5	23//18/1	Private	Agriculture	0.0455 (Hectare)	0.0455000
6	23//7/1/2	Private	Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076000
7	25//13/4	Private	Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008000
8	25//17/3	Private	Agriculture	0.0177 (Hectare)	0.0177000

9	25//24	Private	Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152000
10	275	Private	Rasta (Panchayat)	0.0506 (Hectare)	0.0506000
11	291	Private	Rasta (Panchayat)	0.0278 (Hectare)	0.0278000
12	303	Private	Rasta (Panchayat)	0.0253 (Hectare)	0.0253000
13	304	Private	Rasta (Panchayat)	0.0152 (Hectare)	0.0152000
14	305	Private	Rasta (Panchayat)	0.0329 (Hectare)	0.0329000
15	37//17/5	Private	Agriculture	0.0455 (Hectare)	0.0455000
16	37//23	Private	Agriculture	0.2276 (Hectare)	0.2276000
17	37//7/3	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228000
18	40//13	Private	Agriculture	0.1062 (Hectare)	0.1062000
19	47//2	Private	Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076000
20	72	Private	Gairmumkin Pond	0.0481 (Hectare)	0.0481000
Total					0.9342000

[F. No. 1000/LA/2020-21/NHAI/PIU-LDH/PhagwaraBypass/3a/3A]
 SHAIKH AMINKHAN, Director